



इलाहाबाद उच्च न्यायालय

बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत आवेदन संख्या - 8159 वर्ष 2026

दिलीप कुमार एवं 2 अन्यआवेदकगण

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्यप्रतिपक्षीगण

आवेदक के अधिवक्ता : प्रदीप कुमार, रमनवीर सिंह वर्मा

प्रतिपक्षी के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 78

माननीय न्यायमूर्ति नंद प्रभा शुक्ला

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



1. श्री प्रदीप कुमार, आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता एवं राज्य की ओर से विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (A.G.A.) को सुना तथा अभिलेख का अवलोकन किया।
2. बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत प्रस्तुत यह आवेदन, इसे अनुमन्य करने तथा आरोप पत्र दिनांक 14.10.2025, संज्ञान आदेश दिनांक 17.01.2026, एवं थाना गांधी पार्क, जनपद अलीगढ़ के अपराध संख्या 393/2025, बी.एन.एस. की धारा 85, 115(2), 152, 351 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 से उद्भूत आपराधिक वाद संख्या 935/2026 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम दिलीप कुमार एवं अन्य), जो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 01, अलीगढ़ के समक्ष लंबित है, की संपूर्ण आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने हेतु दायर किया गया है।
3. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रस्तुत मामले को आपराधिक विविध रिट याचिका संख्या 23536 वर्ष 2025 (दिलीप कुमार एवं 6 अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं 3 अन्य) में पारित आदेश दिनांक 07.11.2025 के माध्यम से इलाहाबाद उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र को संदर्भित किया गया था, जहाँ पक्षकारों ने मध्यस्थता वाद संख्या 5707 वर्ष 2025 में समझौता अनुबंध दिनांक 20.03.2026 के माध्यम से विवाद का निस्तारण कर लिया है।
4. आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि वर्तमान विवाद आवेदकों और प्रतिपक्षी संख्या-2 के बीच वैवाहिक कलह से उत्पन्न हुआ है। यह भी तर्क दिया गया है कि पक्षकारों ने स्वेच्छा से समझौता किया है, न कि किसी दबाव, धमकी या जबरदस्ती (coercion) के अधीन, और वे संबंधित न्यायालय में लंबित मामले को आगे बढ़ाने के इच्छुक नहीं हैं।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

इसलिए, पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर आक्षेपित कार्यवाही को निरस्त किया जाए, और वे प्रति-शपथ पत्र (counter affidavit) तथा प्रत्युत्तर शपथ पत्र (rejoinder affidavit) दाखिल करने का विचार नहीं रखते हैं।

5. प्रतिपक्षी संख्या-2 के विद्वान अधिवक्ता, आवेदकों के विद्वान अधिवक्ता के तर्कों को स्वीकार करते हैं और कथन करते हैं कि यदि आवेदकों के विरुद्ध लंबित आक्षेपित कार्यवाही निरस्त की जाती है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं है।

6. विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता (A.G.A.) भी दोनों पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दिए गए तर्कों की सत्यता का खंडन नहीं करते हैं।

7. पक्षकारों के बीच हुए समझौते के आधार पर मामले को निरस्त करने के संबंध में विधि भली-भांति स्थापित है।

8. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **बी.एस. जोशी एवं अन्य बनाम हरियाणा राज्य एवं अन्य, (2003) 4 SCC 675** के मामले में दिए गए निर्णय के आलोक में यह निर्धारित किया गया है कि "उच्च न्यायालयों के पास दंड प्रक्रिया संहिता (Cr.P.C.) की धारा 482 के तहत प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) और आपराधिक कार्यवाहियों को निरस्त करने की अंतर्निहित शक्ति है, विशेष रूप से वैवाहिक विवादों में जहाँ पक्षकारों के बीच वास्तविक समझौता हो गया हो। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320, जो शमन योग्य (compoundable) अपराधों को सूचीबद्ध करती है, इस शक्ति को सीमित नहीं करती है, और सौहार्दपूर्ण समझौतों को बढ़ावा देने तथा न्याय के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इस शक्ति का प्रयोग करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, भले ही वे अपराध अन्यथा गैर-शमन योग्य (non-compoundable) हों।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



9. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **ज्ञान सिंह बनाम पंजाब राज्य एवं अन्य, (2012) 10 SCC 303** में अपने संवैधानिक पीठ के निर्णय में यह निर्धारित किया है कि "परंतु वे आपराधिक मामले, जिनमें अत्यधिक और मुख्य रूप से दीवानी (civil) स्वरूप के तत्व शामिल हैं, कार्यवाही निरस्त करने के प्रयोजन के लिए एक अलग आधार पर खड़े होते हैं, विशेष रूप से वे अपराध जो वाणिज्यिक, वित्तीय, व्यापारिक, दीवानी, साझेदारी या इसी तरह के लेनदेन से उत्पन्न होते हैं या दहेज आदि से संबंधित वैवाहिक विवादों या पारिवारिक विवादों से उत्पन्न होते हैं, जहाँ किया गया अपराध मूल रूप से निजी या व्यक्तिगत प्रकृति का है और पक्षकारों ने अपने संपूर्ण विवाद का समाधान कर लिया है। इस श्रेणी के मामलों में, उच्च न्यायालय आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर सकता है, यदि उसके विचार में, अपराधी और पीड़ित के बीच समझौते के कारण, दोषसिद्धि की संभावना क्षीण और धुंधली है और आपराधिक मामले को जारी रखने से अभियुक्त को भारी उत्पीड़न और पूर्वाग्रह का सामना करना पड़ेगा तथा पीड़ित के साथ पूर्ण और संपूर्ण समझौते के बावजूद आपराधिक मामले को निरस्त न करने से उसके साथ घोर अन्याय होगा।"

10. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **पर्वतभाई अहीर उर्फ पर्वतभाई भीमसिंहभाई करमूर एवं अन्य बनाम गुजरात राज्य एवं अन्य, (2017) 9 SCC 641** के मामले में अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए आपराधिक कार्यवाही को निरस्त करने के व्यापक सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं, जिसमें यह आधार दिया गया है कि "गैर-शमन योग्य (non-compoundable) मामलों में भी समझौते के आधार पर आपराधिक कार्यवाही को निरस्त किया जा सकता है ताकि न्यायालय के बहुमूल्य समय को बचाया जा सके और उसका उपयोग अन्य महत्वपूर्ण मामलों में किया जा सके।"

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



11. पक्षकारों ने संबंधित न्यायालय में अपने बीच लंबित कार्यवाहियों को वापस लेने पर सहमति व्यक्त की है। अभिलेखों के परिशीलन और ऊपर उद्धृत कानून के आधार पर, यह वर्तमान मामला सम्मन आदेश (summoning order) के साथ-साथ संपूर्ण कार्यवाही को निरस्त करने के लिए न्यायालय द्वारा अपनी शक्ति का प्रयोग करने हेतु एक उपयुक्त मामला है।

12. विवाद पूर्णतः वैवाहिक प्रकृति का प्रतीत होता है, जिसका पक्षकारों के बीच उनकी पूर्ण संतुष्टि के साथ पारस्परिक रूप से निपटारा कर लिया गया है, अतः अब अभियोजन को आगे जारी रखने की अनुमति देने से कोई उपयोगी उद्देश्य सिद्ध नहीं होगा।

13. बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत कार्यवाही निरस्त (quashing) करने हेतु प्रस्तुत यह आवेदन, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रदीप कुमार केसरवानी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, आपराधिक अपील संख्या 3831 वर्ष 2025, एस.एल.पी. (Crl.) संख्या 11642 वर्ष 2019, दिनांक 02.09.2025 में निर्धारित मानकों के दायरे में आता है।

14. इलाहाबाद उच्च न्यायालय मध्यस्थता एवं सुलह केंद्र की मध्यस्थता रिपोर्ट के आलोक में, थाना गांधी पार्क, जनपद अलीगढ़ के अपराध संख्या 393/2025, बी.एन.एस. की धारा 85, 115(2), 152, 351 और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3/4 से उद्धृत आपराधिक वाद संख्या 935/2026 (उत्तर प्रदेश राज्य बनाम दिलीप कुमार एवं अन्य), जो अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, न्यायालय संख्या 01, अलीगढ़ के समक्ष लंबित है, की संपूर्ण कार्यवाही एतद्वारा निरस्त की जाती है।

15. तदुसार, बी.एन.एस.एस. की धारा 528 के तहत प्रस्तुत यह आवेदन स्वीकार किया जाता है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



मार्च 23, 2026

पुष्पेन्द्र

(नंद प्रभा शुक्ला, न्यायमूर्ति)

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।